

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश
(भूतल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in

E-mail: ayushmission.mp@mp.gov.in

Office(0755) 2763044

Fax - (0755) 2760225

क्रमॉक/10/आयुष मिशन/21/एफ.नं.-18/5964-69

भोपाल, दिनांक 24-11-2021

//आदेश//

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश के आदेश क्र./10/आयुष मिशन/ एफ नं. -18/4943-5179 दिनांक 30.09.2021 द्वारा चयनित 176 कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर (सी.एच.ओ.) की पदस्थापना संबंधी आदेश जारी किये गये हैं। आदेश की कण्डिका-09 के अनुसार नियुक्ति पूर्व चयनित अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में जीवित/ अद्यतन पंजीयन अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

उक्त आदेश के अनुक्रम में संचालनालय में अनेक ऐसे चयनित अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया है, जिनकी इंटरशिप पूर्ण हो चुकी है एवं वे मध्यप्रदेश आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में अस्थायी पंजीयन धारी हैं।

अतः उपरोक्त आदेश में उल्लेखित ऐसे सभी उम्मीदवार जिनकी इंटरशिप उक्त आदेश में उल्लेखित निर्धारित समयावधि (दिनांक 15.10.2021) से पूर्व पूर्ण हो चुकी है तथा जिनके पास मध्यप्रदेश आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल से जारी "जीवित" अस्थायी पंजीयन उपलब्ध है, जिसकी वैधता अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी दिनांक से 01 वर्ष है, केवल ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत सी.एच.ओ. के पद पर संदर्भित आदेश में वर्णित अन्य शर्तों के आधार पर दिनांक 26.11.2021 तक ज्वाइनिंग प्रदान किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं।

(ई० रमेश कुमार)

आयुक्त

संचालनालय आयुष म०प्र०

भोपाल, दिनांक 24-11-2021

क्र./10/आयुष मिशन/21/एफ.नं.-18/5964-69

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आयुष विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संभागीय आयुष अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिला आयुष अधिकारी, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, उक्त आदेश के अनुक्रम में कार्य पर उपस्थित होने वाले समस्त सी.एच.ओ. की कार्य पर उपस्थिति संबंधी जानकारी दिनांक 29.11.2021 तक ई-मेल द्वारा संचालनालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
4. श्री शशि रघुवेन्द्र, एम०पी० ऑनलाइन, बिजनेस एनालिस्ट को प्रेषित कर लेख है कि, उक्त आदेश को एम०पी० ऑनलाइन की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।
5. प्रभारी अधिकारी आई०टी० शाखा संचालनालय आयुष की ओर प्रेषित कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का लेख है।

आयुक्त

संचालनालय आयुष म०प्र०